रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2010/श्रावण 20, 1932

No. 447] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2010/SHRAVANA 20, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 670(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उसका संबंध निरीक्षक (आयुधिक) के पद से है और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के आयुधिक काडर में निरीक्षक (आयुधिक), उप-निरीक्षक (आयुधिक), हैड कांस्टेबल (आयुधिक) और कांस्टेबल (आयुधिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह 'ख', 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III, में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति जिससे अंतर्गत प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोडे गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (आयुधिक)	5* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष (पुनर्नियोजन भूतपूर्व सैनिकों के लिए)

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप–निरीक्षक (आयुधिक) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों में अर्हित हो। **टिप्पण 1.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.— भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप–निरीक्षक (आयुधिक) की बाबत् पात्रता जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक श्रेणी में पदधारण किए हुए हैं, तीन वर्ष बनी रहेगी।

टिप्पण 3.— किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों में ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर समतुल्य या सदृश पदधारण किए हुए हैं या जिन्होंने वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 या समतुल्य में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और जो सेना या किसी अन्य समतुल्य विभाग से आयुधिक पाठ्यक्रम श्रेणी–1 और चल गोला बारूद मरम्मत पाठ्यक्रम में अर्हित हो।

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4.— किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास यदि कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। पुनर्नियोजन के लिए पात्रता की अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नही होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :

सशस्त्र सेना अर्थात् सेना/नौ सेना/वायु सेना से ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो सदृश या समतुल्य पद से और प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता और विहित अनुभव के कब्जा से सेवानिवृत्त या निर्मुक्त हुए हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(13)	**(14)**
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष (2) कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (3) उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. उप–निरीक्षक (आयुधिक)	9* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	**(12)**
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हेड कांस्टेबल (आयुधिक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों में अर्हित हों। **टिप्पण 1.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.—** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (आयुधिव [illegible] ग्बत् पात्रता जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ए [illegible] में पदधारण किए हुए हैं, पॉच वर्ष बनी रहेगी। **टिप्पण 3.—** किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले/उस तारीख [illegible] छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संर [illegible] स्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफा [illegible] धारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी

(13)	(14)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष (2) कमांडेंट या सेकेण्ड–इन–कमांड, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (3) उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हैड कांस्टेबल (आयुधिक)	125* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड— 1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष (भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए)

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (आयुधिक) में से, जिन्होंने कांस्टेबल के रूप में जिसके अंतगर्त कांस्टेबल (आयुधिक) के रूप में तीन वर्ष की सेवा भी है, पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण/पाठयक्रमों में अर्हित हो। **टिप्पण 1.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.—** किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन :** समतुल्य रैंक के ऐसे सेवानिवृत्त या निर्मुक्त सेना कार्मिक जिनके पास आर्डिनेंस का तीन वर्ष का अनुभव है।

(13)	(14)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. सेकेण्ड–इन–कमांड या उप कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कांस्टेबल (आयुधिक)	27* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
आमेलन द्वारा	**आमेलन द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे मैट्रिकुलेट कांस्टेबल (साधारण डयूटी) में से जिन्होंने दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने संपरिवर्तन परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा किया हो:– (1) बुनियादी प्रशिक्षण (2) बुनियादी आयुधिक पाठ्यक्रम, श्रेणी– III

(13)	(14)
चयन और पुष्टिकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. सेकेण्ड–इन–कमांड या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-12022/5/2008-संग.]

एस. सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2010

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2007 in so far as it relates to the post of Inspector (Armourer) and the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Armourer), Sub-Inspector (Armourer), Head Constable (Armourer) and Constable (Armourer), Armourer Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'B' & 'C' posts), Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation/re-employment under the provisions of the rules.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Armourer).	5* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay band -2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600.	Selection.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service(Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)	(11)
Two years. (For re-employed ex-servicemen)	By promotion failing which by deputation/re-employment failing both by re-employment of Ex-servicemen.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(12)

By promotion:

From amongst Sub-Inspector (Armourer) of the Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered five years of regular service in the grade and have qualified the pre-promotional training/courses prescribed by the department.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— The eligibility shall continue to be 3 years in the case of Sub-Inspector (Armourer) holding the post on regular basis on the date of notification of these rules.

By deputation:

Officers holding equivalent or analogous post on regular basis or with five years regular service in the PB-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200 or equivalent in Central Government or State Government Departments having qualified Armourer course Grade-I and Mobile Ammunition Repairs course from Army or equivalent from any other department.

Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

Deputation/re-employment :

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed if any, shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty two years on the date of receipt of application.

Re-employment of Ex-servicemen :

Ex-servicemen from Armed Force viz. Army/Navy/Air Force who have been retired or released from analogous or equivalent post and in possession of requisite qualification and experience prescribed for deputation.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

3159 GI/10-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Inspector (Armourer).	9* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay band -2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Two years.	By promotion failing which by deputation/re-employment.

(12)

By promotion:

From amongst Head Constable (Armourer) of the Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered ten years of regular service in the grade and have qualified the pre promotional training/courses prescribed by the department.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— The eligibility shall continue to be 5 years in the case of Head Constable (Armourer) of ITBP holding the post on regular basis on the date of notification of these rules.

By deputation:

From amongst officials of the Central/State Government Departments holding equivalent or analogous posts and having experience in the line.

Note. 1— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note. 2— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note. 3— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

Re-employment of Ex-servicemen:

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed if any, shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty two years on the date of receipt of application.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant or Second-in-Command, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (Armourer).	125* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay band- 1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400.	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable.	Not applicable.	Two years. (For re-employed ex-servicemen)	By promotion failing which by re-employment.

(12)

By promotion :

From amongst Constables (Armourer) of the Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered five years regular service as Constables including three years service as Constable(Armourer) and have qualified the pre promotional training/courses prescribed by the department.

Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Re-employment of Ex-servicemen :

Retired or released Army personnel of equivalent rank with experience in Ordnance.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:- 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Second-in-Command or Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (Armourer).	27* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs.2000.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By absorption.

(12)
By absorption : From amongst Matriculate Constable (General Duty) of the Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered two years regular service and have undergone the following courses organized by the Indo-Tibetan Border Police Force subject to passing the Conversion Test. (1) Basic Training (2) Basic Armourer Course, Grade-III.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for selection and confirmation consisting of:- 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Second-in-Command or Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable

[F. No. I-12022/5/2008-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.